रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30—अगस्त 5, 2011 (श्रावण 8, 1933)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30—AUGUST 5, 2011 (SRAVANA 8, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 14 जून 2011

सं. डीएनबीएस(पीडी) 229/सीजीएम(यूएस)/2011--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित निर्देश देना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक, 45 ट तथा 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश देता है :--

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक(नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

(1) यह निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (गैबैंविकं द्वारा विदेश में शाखाएं/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना) निदेश 2011 कहा जाएगा।

(2) यह निदेश तत्काल प्रभार से लागू होंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा/सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विदेश में सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या किसी विदेशी संस्था में निवेश नहीं कर सकता। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के आवेदन को इन निदेशों के अधीन विचार किया जाएगा।

2. विदेश में शाखाएं खोलने या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अतिरिक्त यह निदेश होंगे।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (जमा राशि स्वीकार तथा नहीं स्वीकार करने वाली दोनों) के लिए विदेश में सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय के लिए या निवेश हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित सामान्य तथा विशिष्ठ शर्तें निम्नलिखित हैं।

3.1 सामान्य शर्तें

(ए) गैर वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में निवेश की अनुमति नहीं है.

(बी) फेमा (एफईएमए) के तहत गतिविधियों में प्रत्यक्ष निवेश प्रतिबंधित है या सेक्टोरल निधियों की अनुमति नहीं है.

(सी) केवल मात्र उन संस्थाओं में निवेश की अनुमति है जिसके कोर गतिविधियों का विनियमन मेजबान (होस्ट) अधिकार क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा किया जाता हो.

(डी) समग्र विदेशी निवेश निवल स्वाधिक निधियों के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसी एक विदेशी संस्था में, उसकी निचली सहायक कंपनियों सहित, ईक्विटी या निधि आधारित प्रतिबद्धता निवेश के माध्यम से निवेश , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व निधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए.

(ई) विदेशी निवेश में बहु स्तरित, क्रास क्षेत्राधिकार संरचना शामिल नहीं होना चाहिए तथा अधिक से अधिक केवल मात्र एक मध्यवर्ती धारक संस्था को अनुमति दी जाएगी.

(एफ) (i) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद, जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर , गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार तथा धारण करने वाली) कंपनी , विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 , समय समय पर यथा संशोधित, के नियमानुसार जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू से कम नहीं होना चाहिए है.

(ii) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद, प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर, गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार तथा धारण करने वाली) कंपनी, विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007, समय समय पर यथा संशोधित, के नियमानुसार जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू से कम नहीं होना चाहिए है.

(iii) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद, जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को छोडकर) का सीआरएआर, समय समय पर संशोधित या 10% से कम नहीं होना चाहिए.

(जी) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 झक में निर्धारित स्पष्टिकरण के अनुरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रस्तावित विदेशी सहायक कंपनी/ विदेश में निवेश करने के बाद आवश्यक निवल स्वाधिक निधियों का स्तर बरकरार रखना होगा.

(एच) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल अनर्जक आस्तियां निवल अग्रिम के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए.

(आई) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पिछले तीन वर्षो में लाभ अर्जित किया होना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए.

(जे) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को समय समय पर जारी फेमा 1999 विनियम का अनुपालन करना होगा.

(के) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विनियामक अनुपालन तथा सार्वजनिक जमाराशि स्वीकर करने की सेवा संतोषजनक होना चाहिए.

(एल) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम का पालन करना होगा.

(एम) विदेश में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना या विदेश में अधिग्रहण को विदेशी संस्था में निवेश के प्रतिशत के आधार पर विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में निवेश / विदेश में निवेश माना जाएगा;

(एन) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सांविधिक लेखा परीक्षक से वार्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि विदेश में निवेश के लिए इस दिशानिर्देश के तहत निर्धारित सभी नियम का पूर्ण अनुपालन इसके द्वारा किया गया है, को क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जहां वह पंजीकृत है.

(ओ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक संलग्न तिमाही विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को भी प्रस्तुत करना होगा.

(पी) यदि बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा. विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस नियम के अधीन है.

3.2 विशेष नियम

(क) शाखा खोलना

सामान्य नीति के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है. तथापि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिन्होंने वित्तीय कारोबार गतिविधियों के लिए पहले से ही विदेश में शाखा (शाखाएं) खोल रखी है उन्हें संशोधित दिशानिर्देश के अनुपालन के आधार पर , यथा लागू, परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है.

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में उक्त निर्धारित सभी नियम लागू होंगें. बैंक द्वारा जारी किया अनापत्ति प्रमाण पत्र विदेशी नियामकों अनुमोदन प्रक्रिया से स्वतंत्र है. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्धारित शर्तें है जो कि सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है

(ए) विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में, मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसे सहायक कंपनी के बदले विस्तारित अंतर्निहित या गारेंटी सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं है.

(बी) विदेशी सहायक कंपनी का भारत में किसी भी संस्थान से चुकौतीं आश्वासन पत्र के अनुरोध की अनुमति नहीं है.

(सी) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की देनदारी इसके ईक्विटी या सहायक कंपनी के निधि आधारित प्रतिबद्धता तक प्रतिबंधित है.

(डी) विदेश में स्थापित की जाने वाली सहायक कंपनी शेल (Shell) कंपनी नहीं होगी जैसे " कंपनी का गठन किया गया है किंतु परिसंपत्ति या परिचालन के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है" . तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवाएं का कारोबार करने वाली ऐसी कंपनी जिसमें महत्त्वपूर्ण परिसंपती नहीं है, उन्हें शेल (Shell) कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा.

(ई) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विदेश में स्थापित की वाली सहायक कंपनी का प्रयोग भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिसंपत्ति बनाने के लिए संसाधन बनाने वाले संस्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए.

(एफ) प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में स्थापित सहायक कंपनी से उनके द्वारा किये जाने वाले कारोबार संबंधि आवधिक रिपोर्ट/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना होगा तथा उसे रिजर्व बैंक तथा बैंक के निरीक्षक अधिकारियों को उपलब्ध करना होगा.

(जी) यदि सहायक कंपनी द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तब विदेश में सहायक कंपनी के स्थापना के लिए दिए गये अनुमति की समीक्षा किया /वापस लिया जा सकता है.

(एच) किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सहायक कंपनी अपने तुलन पत्र में यह प्रकट करें कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में मूल संस्था का देनदारी अपने इक्विटी या फंड को सीमित किया जाएगा जो कि सहायक कंपनी के लिए आधारित प्रतिबद्धता के अधीन होगा.

(आई) विदेशी सहायक कंपनी के सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामक क्षेत्र के अधीन होगा.

(ग) विदेशी संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनी के अतिरिक्त विदेश में निवेश पर भी वही दिशा निर्देश लागू होंगे जो सहायक कंपनी के लिए लागू है.

(घ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

संपर्क कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय विदेश में खोला जा सकता है. यह बाजार स्टडी तथा अनुसंधान कार्य कर सकते है किंतु किसी भी प्रकार से निधियों का परव्यय कारोबार शामिल न हो ,क्योंकि यह मेजबान देश के विनियमन के अधीन होता है. जैसा कि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य में शामिल नहीं होंगे अत: ऋण व्यापार की सीमा को नहीं बढाया जा सकता.

मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा उनके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी. यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है उनको कार्य के लिए प्रदान किया गया अनुमति की समीक्षा/ रद्द की जा सकती है.

4. नीति की समीक्षा अनुभव लाभ के आधार पर किया जाएगा.

5. इन निदेशो का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है.

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

विदेश में निवेश करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तिमाही रिपोर्ट- 31 मार्च/ 30 जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर

क्रम	पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम (संयुक्त उद्यम के लिए पार्टनर नाम नाम दें)	देश तथा गठन का तारीख	गै बैं प वि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने का तारीख	किया जाने वाला कारोबार

क्रम	अवधि के अंत में पैरामीटर्स	
ए)	सीआरएआर :	
बी)	एनओएफ :	
सी)	अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का निवल लाभ :	
डी)	तिमाही के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम में प्रेषित की गयी राशि :	

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम	प्रेषित की गयी राशि

ई)	तिमाही के अंत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में संचयी निवेश (ईक्विटी/ निधि आधारित प्रतिबद्धता) (गै बैं वि कं का स्वामित्व निधि तथा यथा प्रतिशत) :	

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम	प्रेषित राशि तथा नीचली सहायक कंपनी यदि कोई हो तो सहित स्वामित्व निधि का प्रतिशत

एफ)	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के निवल स्वाधिकृत निधियों के प्रतिशत स्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किया गया समग्र विदेश निवेश :	
एच)	क्या पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम मेजबान देश द्वारा विनियमित है? यदि हां :	

	विनियाकम का नाम :	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई विनियामक दौरा किया गया:	विनियामक द्वारा विसंगतियां दर्शायी गई :	अवधि में कोई विनियामक प्रभार लगाया गया जिसका प्रभाव सहायक कंपनी के व्यपार पर पडा :	विदेशी विनियामक द्वारा लगाया गया कोई दण्ड/ जुर्माना, यदि कोई हो तो :

जे) मूल गै बैं वि कं द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम को गारेंटी, ऋण चुकौती पत्र सहित प्रान की जानी वाली समर्थन का प्रकार (कृपया भी उल्लेख करें कि तकनीति जानकारी सहित अन्य किसी प्रकार का समर्थन किया गया है) :

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम	समर्थन का प्रकार

के) तिमाही के दौरान पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम से प्राप्त किया गया विवरणी :

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम	प्राप्त विवरणी

एल) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम की वित्तीय स्थिति

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ	परिसंपत्ति का आकर (परिसंपत्ति के महत्त्वपूर्ण मदों का विवरण तथा देन दारी को भी शामिल कियाजाए)

मुंबई-400001, दिनांक 18 जुलाई 2011

बैंपविवि. सं. आईबीडी. 948/23.03.027/2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निर्देश देता है :--

''राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंट्रल राइफ़्फेसेन--बोएरेन्लीनबैंक बी.ए.)''

बी. महापात्रा
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 30 जून 2011

एसबीडी क्र. 04/2011-12--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री श्यामल आचार्य, उप प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यकारी (सहयोगी एवं अनुषंगी), कारपोरेट केन्द्र, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई को दिनांक 01 जुलाई 2011 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :--

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
2. स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त का कार्यालय (पू.क्षे.)

कोलकाता-700012, दिनांक 27 जून 2011

सं. यू-13/12 पी.टी.एम.आर. (1)/व.रा.चि.आ./2008--क.रा.बी. निगम की बैठक दिनांक 25.04.1951 को पारित संकल्प के अनुसरण में जिसके द्वारा क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत निगम के महानिदेशक में प्रत्यायोजित शक्तियां एवं तदनुसार महानिदेशक महोदय के अनुदेश पर मुख्यालय पत्र सं. यू-13/12/13/2005-मेड-1/पी.टी.एम.आर. दिनांक 09.09.2008 के द्वारा वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त में नियोजित उक्त अधिकार से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित चिकित्सक को नीचे दिए गए तिथि से एक वर्ष के लिए या जब तक कि पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी पद ग्रहण नहीं कर लें, निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार मासिक वेतन पारिश्रमिक) पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये चिकित्सा निर्देशी उनके नाम के सामने अंकित तिथि से तथा यथा निर्दिष्ट केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों के चिकित्सा परीक्षण एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने पर पुनः प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।

चिकित्सक का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. हरेकृष्ण शर्मा	दिनांक 01.01.2011 से दिनांक 31.12.2011 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक	तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, डिगबोई, डूम डूमा, माकुम, मारगारेट्टा, जोईपुर

एस. के. चौधरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पूर्व क्षेत्र)

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 14th June 2011

No. DNBS. (PD)229/CGM(US)-2011—In exercise of the powers conferred by sections 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary so to do, gives to every NBFC the Directions hereinafter specified.

Short title and commencement of the Directions

(1) These Directions shall be known as the Non-Banking Financial Companies (Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs) Directions, 2011.

(2) These Directions shall come into force with immediate effect.

Prior Approval of RBI in cases of Opening of branch/subsidiary/joint venture/representative office or undertaking investment abroad by NBFCs

1. No NBFC shall open subsidiaries/joint ventures/representative office abroad or shall make investment in any foreign entities without obtaining prior approval in writing from the Reserve Bank of India. The application from the NBFC seeking No Objection would be considered subject to these directions.

2. These directions are in addition to those prescribed by Foreign Exchange Department for opening of branches abroad or for investments in Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary.

3. The following general and specific conditions are prescribed for permitting subsidiaries/joint ventures/representative office or making investments abroad by a NBFC (both deposit taking and non-deposit taking) registered with RBI.

3.1 General conditions

(a) Investment in non-financial service sectors shall not be permitted.

(b) Direct investment in activities prohibited under FEMA or in sectoral funds will not be permitted.

(c) Investments will be permitted only in those entities having their core activity regulated by a financial sector regulator in the host jurisdiction.

(d) The aggregate overseas investment should not exceed 100% of the NoF. The overseas investment in a single entity, including its step down subsidiaries, by way of equity or fund based commitment shall not be more than 15% of the NBFC's owned funds.

(e) Overseas investment should not involve multi layered, cross jurisdictional structures and at most only a single intermediate holding entity shall be permitted.

(f) (i) The CRAR of the deposit taking NBFCs, post investment in subsidiary abroad, should be not less than that applicable to deposit taking NBFCs in terms of Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms(Reserve Bank) Directions, 2007, as amended from time to time;

(ii) The CRAR of the NBFC-ND-SI, post investment in subsidiary abroad, should be not less than that applicable to them in terms of Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, as amended from time to time;

(iii) The CRAR of the non-deposit taking NBFCs (other than NBFC-ND-SI), post investment in subsidiary abroad, should not be less than 10%, or as modified from time to time;

(g) The NBFC should continue to maintain required level of NOF after accounting for investment in the proposed subsidiary/investment abroad as prescribed in the explanation to Section 45-IA of the RBI Act, 1934.

(h) The level of Net Non-Performing Assets of the NBFC should not be more than 5% of the net advances;

(i) The NBFC should be earning profit for the last three years and its performance in general should be satisfactory during the period of its existence.

(j) The NBFC shall comply with the regulations issued under FEMA, 1999 from time to time;

(k) Regulatory compliance and servicing of public deposits, if held by the NBFC, should be satisfactory;

(l) The NBFC shall comply with the KYC norms;

(m) SPVs set up abroad or acquisition abroad shall be treated as investment or subsidiary/joint venture abroad, depending upon percentage of investment in overseas entity;

(n) An annual certificate from statutory auditors shall be submitted by the NBFC to the Regional Office of Department of Non-Banking Supervision (DNBS) where it is registered, certifying that it has fully complied with all the conditions stipulated under these Guidelines for overseas investment;

(o) A quarterly return in the enclosed format shall be submitted by the NBFC to the Regional Office of DNBS and also Department of Statistics and Information Management (DSIM).

(p) If any adverse features come to the notice of the Bank, the permission granted shall be withdrawn. All approvals for investment abroad shall be subject to this condition.

3.2 Specific conditions.

(A) Opening of Branch

As a general policy, NBFCs shall not be allowed to open a branch abroad. However Non-banking financial companies which have already set up branch(es) abroad for

undertaking financial business shall be allowed to continue to operate them subject to complying with the revised guidelines, as applicable.

(B) Opening of subsidiary abroad by NBFCs

In case of opening of a subsidiary abroad by the NBFCs, all the conditions as stipulated above shall be applicable. The NoC to be issued by the Bank is independent of the overseas regulators' approval process. In addition, the following stipulations are made, which shall be applicable to all NBFCs:

(a) In case of opening of subsidiary abroad, the parent NBFC shall not be permitted to extend implicit or explicit guarantee to or on behalf of such subsidiaries;

(b) No request for letter of comfort in favour of the subsidiary abroad from any institution in India shall be permitted;

(c) It shall be ensured that NBFC's liability in the proposed overseas entity is restricted to its either equity or fund based commitment to the subsidiary;

(d) The subsidiary being established abroad should not be a shell company i.e "a company that is incorporated, but has no significant assets or operations." However companies undertaking activities such as financial consultancy and advisory services with no significant assets shall not be considered as shell companies;

(e) The subsidiary being established abroad by the NBFC should not be used as a vehicle for raising resources for creating assets in India for the Indian operations;

(f) In order to ensure compliance of the provisions, the parent NBFC shall obtain periodical reports/audit reports about the business undertaken by the subsidiary abroad and shall make them available to Reserve Bank and inspecting officials of the Bank;

(g) If the subsidiary has not undertaken any activity or such reports are not forthcoming, the approvals given for setting up a subsidiary abroad shall be reviewed/ recalled;

(h) The permission granted to any NBFC for setting up of overseas subsidiary shall be subject to condition that the subsidiary shall make disclosure in its Balance Sheet to the effect that liability of the parent entity in the proposed overseas entity shall be limited to its either equity or fund based commitment to the subsidiary;

(i) All the operations of the subsidiary abroad shall be subject to regulatory prescriptions of the host country.

(C) Joint Ventures abroad

Investments abroad, other than in subsidiaries also shall be governed by same guidelines as those applicable to subsidiaries.

(D) Opening of representative offices abroad by NBFCs

The representative office can be set up abroad for the purpose of liaison work, undertaking market study and research but not undertaking any activity which involves outlay of funds, provided it is subject to regulation by a regulator in the host country. As it is not envisaged that such office would be carrying on any activity other than liaison work, no line of credit should be extended.

The parent NBFC shall obtain periodical reports about the business undertaken by the representative office abroad. If the representative office has not undertaken any activity or such reports are not forthcoming, the approvals given for the purpose shall be reviewed/ recalled.

4. The Policy will be reviewed based on experience gained.

5. Violation of these directions shall invite penal action under the provisions of Reserve Bank of India Act, 1934.

(Uma Subramaniam)
Chief General Manager-in-Charge

Annex

Quarterly Return to be submitted by NBFCs having overseas investment - March 31st / June 30th/September 30th /December 31st

Sr. No.	Name of the WOS/JV (for JV, indicate names of partners)	Country and date of incorporation	Date of NoC from DNBS	Business undertaken

Sr. no.	Parameters at end of period	
a)	CRAR:	
b)	NoF:	
c)	Net Profit of the NBFC as per the last audited balance sheet:	
d)	Amount of remittance made to the WOS/JV during the quarter:	

Name of the WOS/JV	Amount remitted

e)	Cumulative investment (equity/fund based commitment) in the WOS/JV at the end of the quarter(amount and as percentage of owned funds of the NBFC):

Name of the WOS/JV	Amount remitted and as % of owned funds including step down subsidiaries if any

f)	Aggregate overseas investment of the NBFC as percentage of NoF of the NBFC:	

h) Whether the overseas WOS/JV is regulated in the host country. If yes:

Name of the regulator:	Any regulatory visits made during the reporting period:	Concerns expressed by the regulator:	Any regulatory changes during the period which would impact the business of the subsidiary:	Fines / penalties levied by the overseas regulator, if any:

j) Nature of support extended to the JV/WOS by the parent NBFC during the quarter including Guarantee, Letter of Comfort (Also mention whether any other kind of support were given including technical knowledge):

Name of the WOS/JV	Nature of support

k) Returns obtained from the WOS/JV during the quarter:

	Name of the WOS/JV	Returns obtained

I) Financial details of JV/WOS

Name of the WOS/JV	Net profit	Asset size(Details of significant items of assets and liabilities may be attached)

Mumbai-400001, the 18th July 2011

DBOD.IBD. No.948/23.03.027/2011-12—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

"Rabobank International (Cooperative Central Raiffesen-Boerenleenbank B.A.)"

B. MAHAPATRA
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 30th June 2011

SBD. No. 04/2011-12—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Shyamal Acharya, Dy. Managing Director & Group Executive (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai as a Director on the Boards of the following Associate Banks with effect from 1st July, 2011.

(1) State Bank of Bikaner & Jaipur

(2) State Bank of Hyderabad

(3) State Bank of Mysore

(4) State Bank of Patiala

(5) State Bank of Travancore

PRATIP CHAUDHURI
Chairman

OFFICE OF THE SR. STATE MEDICAL COMMISSIONER (EZ)

Kolkata-700012, the 27th June 2011

No. U.13/12/PTMR/(1)/SSMC/2008—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G's order Vide Hqrs. Office Letter No. U.13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. Harekrishna Sarma	From 01.01.2011 to 31.12.2011 Or till full time M.R. is joined.	Tinsukia, Dibrugarh, Digboi, Doom Dooma, Makum, Margarctta, Joipur

S. K. CHOUDHURY
SSMC (EZ)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011